मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 98 /376/चार/ब-1/2008 भोपाल दिनांक 06/01/2012

प्रति,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश
3- समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्य प्रदेश
4- आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
5- आयुक्त संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
6- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय:- व्यय की विभिन्न मदों के वर्गीकरण में संशोधन/परिवर्तन।

विभिन्न मदों के अन्तर्गत हो रहे व्ययों के वर्गीकरण को और अधिक सुस्पष्ट किये जाने के उद्देश्य से वर्गीकरण की वर्तमान व्यवस्था में राज्य शासन द्वारा निम्न मदों के वर्गीकरण में आंशिक संशोधन किया जा रहा है-

1- वर्तमान में नवीन मद अन्तर्गत वाहन का क्रय/प्रतिस्थापन को उद्देश्य 23-वाहन क्रय के अन्तर्गत बगैर विस्तृत शीर्ष के वर्गीकृत किया जा रहा है। संशोधित व्यवस्था अन्तर्गत वाहन क्रय का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा -

उद्देश्य शीर्ष	**विस्तृत शीर्ष**	**वर्गीकरण का विवरण**
23-वाहन क्रय	001-नवीन वाहन का क्रय	इसके अन्तर्गत नवीन मद के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले वाहनों पर होने वाल व्यय वर्गीकृत किया जायेगा
23-वाहन क्रय	002-वाहन का प्रतिस्थापन	इसके अन्तर्गत अनुपयोगी घोषित होकर अपलेखित किये जा रहे वाहनों के एवज में क्रय किये जा रहे वाहनों पर होने वाले व्यय को वर्गीकृत किया जायेगा

2../-

2- वर्तमान में फर्नीचर तथा उपकरण के य/फर्नीचर की मरम्मत को उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष 003-फर्नीचर एवं व ालिय उपकरणों में वर्गीकृत किया जा रहा है। संशोधित व्यवस्था अन्तर्गत वर्गीकरण निम्नानुसार होगा -

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	र्गीकरण का विवरण
22-कार्यालय व्यय	003-कार्यालय फर्नीचर का क्रय	ार्यालय फर्नीचर के क्रय (नवीन/प्रतिस्थापन) पर होने वाला ्यय इय शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायेगा (फर्नीचर की रम्मत /अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को छोड़कर)
22-कार्यालय व्यय	013-कार्यालय उपकरणों का क्रय	सके अन्तर्गत कार्यालय उपकरणों एवं कम्प्यूटर उपकरणों के ्रय पर होने वाल व्यय वर्गीकृत किया जायेगा
33-अनुरक्षण	006-फर्नीचर अनुरक्षण	ार्यालय फर्नीचर की मरम्मत /अनुरक्षण पर होने वाले व्यय इस ेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जायेंगे

3- रंगराजन समिति की सिफारिश अनुसा पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत व्यय के रूप में भुगतान की जाने वाली एन्यूटी (annuity) को निम्नानु वर्गीकृत किया जायेगा -

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	र्गीकरण का विवरण
68-एन्यूटी	001-एन्यूटी (पूँजीगत)	स शीर्ष में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय े रूप में भुगतान की गई एन्यूटी वर्गीकृत की जायेगी
68-एन्यूटी	002-एन्यूटी (राजस्व/संधारण)	स शीर्ष में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत राजस्व व्यय े रूप में संधारण हेतु भुगतान की गई एन्यूटी वर्गीकृत की ायेगी

उपरोक्त संशोधित वर्गीकरण की व्यव ा वित्तीय वर्ष 2012-13 से लागू होगी अतः विभागों द्वारा वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रेषित ब ट प्रस्तावों उपरोक्तानुसार संशोधन/परिवर्तन की जानकारी (यदि कोई हो तो) अविलंब प्रेषित की जाये।

(अमित राठौर)
संचालक, बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ क्रमांक २९ /376/चार/ब-1/2008 भोपाल दिनांक 06/01/2012

प्रतिलिपि-

1- महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,

2- समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल

3-स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल

4- निज सचि, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल

5- समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग,

6- वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, वल्लभ भवन, भोपाल

7-समस्त वित्तीय सलाहकार, विभागाध्यक्ष कार्यालय, मध्य प्रदेश

8-समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग